and the Supreme Court Judges (C/S) Act, 1958, is receiving attention of the Government.

दवाईयों का आयात

1786. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन-किन दवाइयों का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) इस समय किन-किन देशों से दवाइयों का आयात किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दवाइयों का मूल्य कितना है;

(घ) प्रत्येक राज्य से प्रति वर्ष किन-किन औषधियों की कितनी-कितनी मात्रा के आयात का अनुरोध किया जाता है;

(ङ) इनमें से किन-किन दवाइयों का देश में उत्पादन नहीं किया जाता है; और

(च) सरकार द्वारा इन दवाइयों के उत्पादन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए॰ आर॰ अन्तुले): (क) से (ग) 1994-95 तक देश में औषधों की प्रमात्रा और मूल्यों सहित उनके देश वार किए गए आयात, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित किए गए जो "विदेश व्यापार और भारत" मासिक सांख्यिकी खण्ड-1 के शीर्षक के प्रकाशन में उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए उक्त प्रकाशन, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, का संदर्भ लिया जा सकता है।

(घ) औषधों के राज्य-वार आयात से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) अयात की गई लेकिन देश में विनिर्मित न की गई औषधों के नामों को दशनि वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(च) सामान्यतः इन औषधों के उत्पादन का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में लाइसेंसिंग पद्धति का उदारीकरण, कच्ची सामग्रियों/इंन्टरमीडिएटों के आयात का उदारीकरण, जीवन-रक्षक औषधों के उत्पदान के लिए क्षेत्रीय अधिमानों के हटाना, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को प्रोत्साहन, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के आधार पर औषधों के उत्पादन के लिए कर में राहत और मूल्य नियंत्रण के क्षेत्राधिकार से ऐसे उत्पादन को बाहर निकालना शामिल है।

विवरण

देश में विनिर्मित न की गई आयातित औषधों का विवरण

क्रम सं॰	औषध का नाम
1.	एंटेगोजिल सियोनिमबिन एच॰सी॰एल॰ इंजे॰
2.	अत्रिकुरियम डीसीलेट इन्जे॰
3.	अंटी हेमोफिलिक फैक्टर कोन (VIII एवं IX)
4.	अप्रोटीनिन इंजे॰
5.	अंक्रोटिल टेबलेट (फ्लूशिटोसिन)
6.	एसेप्रोमेरीन मेलिट इंजे॰
7.	बेथानक्रोल क्लोरिड टेबलेट (मयोटोनीन)
8.	बूटलेक्श इंजे॰ (वेट)
9.	कैलशियम ल्यूकोवेरिन इंजे॰
10.	सेट्रेबिन इंजे॰
11.	कटलीन टेबलेट्स
12.	क्लोरेम्बूशिल टेबलेट
13.	क्लोस्टिरम नी ओरल ससपेंशन
14.	कारबोप्लैटिन इंजे॰

क्रम सं॰	औषध का नाम
15.	डिफेरल इंजे॰
16.	डक्राबेजिन इंजे॰
17.	ड्रोन्किट टेबलेट (प्राजीक्यूंटल वेट)
18.	डी॰डी॰ए॰वी॰पी॰ (इंटेरनेशल)
19.	दूतामिन इंजे॰
20.	हपिकबिसिन इंजे॰
21.	इसोफूरन इंजे॰
22.	ग्लूकेगोन इंजे॰
23.	गैस गनग्रीन अंटीटोकिशन
24.	हाइक्रोसूरिया कैप्पसूल
25.	हेमोप्लेक्श
26.	हुपन अल्बोमिन
27.	ह्यूमन गम्मा ग्लोबूलिन
28.	इवोमिक
29.	इपामिकोल स्टेरिल सोल
30.	इम्यून सिरम ग्लोबूलिन
31.	इंट्रोन ए-इंजे॰
32.	केटलान इंजे॰
33.	ह्यूमन रेबिश इम्यूनोग्लोबूलिन
34.	कालटोसटेट (स्टेरिल अब्सोरेबोल हेमोस्टल)
35.	लयोवेक कोसमोकिन इंजे॰
36.	लिवनेस इंजे॰ (एल-ए एस प्रेगीनेश)
37.	लोमस्टिन इंजे॰ (सी सी एन ओ)
38.	लयमफोगूलोबिन
39.	मूस्टिन एच सी एल
40.	मेलफालम इंजे॰ (अलकेरन)
41.	6-मेरकाप्टोपूरिन टबलेट
42.	मेट्रोडिन इंजे॰ (ट्रेक्सायटोसिन)
43.	मेगनिविस्ट (गोडूमेंटल डिमिगलूमिन) इंजे॰
44.	नौरमल हूपन सेरम अलबूमिन (10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत)
45.	नौरमल इमूनोग्लोबिन
46.	परगोनोल इंजे॰
47.	प्रोक्रारेबेजिन 4 सी एल कैप्पसूल
48.	प्राजीक्यूंटल टेबलेट (कास्टेरियड)
49.	पयरिडोस्टिगमिन टेबलेट
50.	पिपरासिल इंजे॰ (पिपरासिलिन)
51.	रिसिपटल (बूशट्रीलिन एसेजेट)
52.	रिक्रोवेरिन इंजे॰ (फ्लोलोपिक सिटरेट)
53.	सिडियम एरोथिओमेलेट (मेक्रिस्टेन इंजे॰)
54.	इसोपटोपल बेड्स और चेन्स

क्रम सं०	औषध का नाम
55.	स्ट्रीप्टोकिनेस इंजे०
56.	सैंदिमून ओरल/ससपेंशन इंजे०
57.	सोडियम निट्रोपरूसिड इंजे०
58.	ट्रेसेलोन इंजे० (अप्रोटिनिन)
59.	एन०एन०एम० ट्रिथिलिन थियोफोस्पनेपिड
60.	थियोगूमिन टेबलेट (2-एमिनो-6 मेरकेप्टोपूरिन)
61.	ट्रेक्रिअम इंजे० (अट्रेक्सिनियम)
62.	थियम्बोग्लोबिन
63.	यूरोकिनेस इंजे०
64.	यूरोकोलिन क्लोरिड कैप्सूल
65.	वासोप्रेसिन (पोस्टेक्शन) इंजे०
66.	विट्रामिक्स के०वी०
67.	विनग्लोबिन
68.	एक्सलाजिन रंजे० (एक्सलानि एच सी एल)
69.	इनेक्सोल स्टेरिल सोल

Service Officers seeking Court redressal

1787. DR. RANBIR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more and more number of senior officers in the armed forces are approaching the courts complaining of non-promotion to higher ranks because of the selection procedures and high handedness of the selection boards;

(b) if so, the number of service officers who have approached the courts in the last three years and the outcome thereof and the steps taken by Government to check such happenings;

(c) whether it is also a fact that the service officers have been also approaching the courts on other service matters; and

(d) if so, what action has been taken by Government to review the matters to check such resentments and boost the morale of the forces?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE) (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (d) Some senior officers in the Armed Forces have approached the Courts complaining againt their non-promotion to higher ranks. The number of Service Officers who approached the Courts in this regard during last 3 years is:—

Army	—20
Navy	— 5
Air Force	— 6

Service Officers have also approached the Courts on other Service matters.

Keeping in view the strength of the officer cadre in the Armed Forces, the number of officers who have approached the Courts on various counts is negligible. Most of the Court Cases have gone in favour of the Government.

Adequate remedies already exist for seeking redressal of grievances relating to Service matters. The Armed Forces Officers can submit non-Statutory Complaint to the respective Chiefs and the Statutory Complaint to the Central Government for seeking redressal of their grievances in such matters. These Complaints are examined thoroughly and wherever permissible, relief is granted.